

-:: इंटरनशिप चयन हेतु विज्ञापन एवं विस्तृत दिशा-निर्देश ::-

छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत इंटरनशिप प्रोग्राम हेतु लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं उद्यमिता विकास आदि क्षेत्रों में कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को इंटरनस (संग्रहण, लाख, संरक्षण एवं वन संवर्द्धन, आयुर्वेद, मार्केटिंग, आई.टी., लैब एनालिस्ट एवं प्रसंस्करण) के रूप में चयन करने हेतु **संलग्न प्रदर्श-1** अनुसार वृत्त कार्यालय में दिनांक **12.02.2024** एवं **13.02.2024** को प्रातः **10.00** बजे से अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु दो दिवसीय **वॉक-इन-इन्टरव्यू** का आयोजन किया जा रहा है। यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम दिवस के साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उनके द्वारा दूसरे दिवस के साक्षात्कार में भाग लिया जा सकता है। किन्तु साक्षात्कार परिणाम की घोषणा दोनों दिवसों के साक्षात्कार में सम्मिलित योग्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अधिकतम अंको के आधार पर की जावेगी। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन होता है अथवा तिथि परिवर्तन आदि हेतु सूचना केवल संघ की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।

1. इंटरनशिप हेतु पद रिक्तियों का विवरण -

1.1. इंटरन (संग्रहण, लाख, संरक्षण एवं वन संवर्द्धन, आयुर्वेद, मार्केटिंग, लैब एनालिस्ट, आई.टी एवं प्रसंस्करण) की वर्गवार रिक्तियां

क्र.	वृत्त का नाम	जिला यूनियन	पद का नाम	वर्गवार रिक्तियों				
				अना.	अजजा	अपिव	अजा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कांकेर	कांकेर	इंटर्न (लैब) सामान्य	0	1	0	0	1
2	बिलासपुर	बिलासपुर		0	1	0	0	1
3	सरगुजा	सरगुजा		1	0	0	0	1
4	जगदलपुर	जगदलपुर		0	1	0	0	1
5	संघ मुख्यालय	संघ मुख्यालय		1	0	0	0	1
योग				2	3	0	0	5
6	रायपुर	मार्ट	रिटेल मार्केटिंग	1	1	0	0	2
7	दुर्ग	वृत्त		0	1	0	0	1
8	जगदलपुर	जगदलपुर		1	0	0	0	1
9	संघ मुख्यालय	मुख्यालय रायपुर		0	1	0	0	1
योग				2	3	0	0	5
10	जगदलपुर	जगदलपुर	इंटर्न (आयुर्वेद)	1	0	0	0	1
11	बिलासपुर	कटघोरा		1	0	0	0	1
12	कांकेर	नारायणपुर	इंटर्न (आयुर्वेद)	1	0	0	0	1
13	सरगुजा	जशपुर		1	0	0	0	1
14	संघ मुख्यालय	मुख्यालय रायपुर		1	0	0	0	1
योग				5	0	0	0	5
15	संघ मुख्यालय	मुख्य.रायपुर	इंटर्न(आईटी)	0	1	0	0	1
योग				0	1	0	0	1
16	बिलासपुर	कटघोरा	इंटर्न (संरक्षण एवं संवर्द्धन)	1	0	0	0	1
योग				1	0	0	0	1
17	रायपुर	गरियावंद	इंटर्न (लाख)	1	0	0	0	1
18	दुर्ग	राजनांदगांव		1	0	0	0	1
19	सरगुजा	बलरामपुर		1	0	0	0	1
योग				3	0	0	0	3

क्र.	वृत्त का नाम	जिला यूनियन	पद का नाम	वर्गवार रिक्तियाँ				
				अना.	अजजा	अपिव	अजा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	जगदलपुर	बीजापुर	इंटर्न (संग्रहण)	0	1	0	0	1
21	जगदलपुर	दंतेवाड़ा		0	1	0	0	1
22	जगदलपुर	सुकमा		1	0	0	0	1
23	रायपुर	धमतरी		1	0	0	0	1
24	कांकेर	पश्चिम भानुप्रतापपुर		1	0	0	0	1
25	दुर्ग	कवर्धा		1	0	0	0	1
26	सरगुजा	बलरामपुर		1	0	0	0	1
27	बिलासपुर	मरवाही		1	0	0	0	1
28	संघ मुख्यालय	मुख्यालय रायपुर		2	0	0	0	2
29	केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई	एम जामगांव		1	0	0	0	1
योग				9	2	0	0	11
30	जगदलपुर	बीजापुर	इंटर्न (प्रसंस्करण)	1	1	0	0	2
31	जगदलपुर	सुकमा		0	1	0	0	1
32	जगदलपुर	जगदलपुर		1	1	1	0	3
33	कांकेर	कोण्डागांव		0	1	0	0	1
34	कांकेर	केशकाल		1	0	0	0	1
35	रायपुर	गरियाबंद		0	1	0	0	1
36	दुर्ग	कवर्धा		0	1	0	0	1
37	दुर्ग	वालोद		1	0	0	0	1
38	दुर्ग	खैरागढ़		1	0	0	0	1
39	दुर्ग	बिलासपुर		1	0	0	0	1
40	बिलासपुर	कोरबा	1	0	0	0	1	
41	बिलासपुर	रायगढ़	1	0	0	0	1	
42	सरगुजा	जशपुर	इंटर्न (प्रसंस्करण)	0	1	0	0	1
43		सूरजपुर		0	1	0	0	1
44		कोरिया		1	0	0	0	1
45		बलरामपुर		1	0	0	0	1
46		सरगुजा		1	0	0	0	1
47	संघ मुख्यालय	संघ मुख्यालय	1	0	0	0	1	
48	केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई	एम जामगांव	0	1	0	0	1	
योग				12	9	1	0	22
महायोग				34	18	1	0	53

निश्चित मासिक मानदेय के अतिरिक्त प्रदर्शन के आधार पर इंसेन्टिव भी देय होगा । अनुसंधान भत्ता केवल कार्य प्रगति आधार पर देय होगा ।

जिला यूनियन जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी, बलरामपुर, कवर्धा, खैरागढ़, कोरिया, बिलासपुर, मरवाही हेतु रिक्त पदों कपर PVTG के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी । यह इंटर्नशीप प्रोग्राम पूर्ण कालिक प्रोग्राम है । चयनित इंटर्नस को इस कार्य हेतु पदस्थिति मुख्यालय में रहना अनिवार्य होगा । साथ ही सतत रूप से संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या राज्य के बाहर के क्षेत्र भ्रमण करना होगा । ऐसा नहीं करने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए इंटर्नशीप की अवधि समाप्त की जावेगी । केवल इंटर्नशीप अवधि पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र भी प्रदाय किया जावेगा ।

2. शैक्षणिक योग्यता:-

1.	इंटरन (संग्रहण)	बी.एस.सी.(कृषि/उद्यानिकी/फॉरेस्ट्री/ बायोलॉजी) स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
2.	इंटरन (लाख)	बी.एस.सी.(कृषि/उद्यानिकी/फॉरेस्ट्री/बायोलॉजी) स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
3.	इंटरन (वन संवर्द्धन)	बी.एस.सी. फॉरेस्ट्री/हार्टिकल्चर/बायो में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
4.	इंटरन (प्रसंस्करण)	बी.ई./बी.टेक.(फूड टेक्नोलॉजी/मैकेनिकल, एग्रीकल्चर) स्नातक अथवा एम.एस.सी. (रूरल टेक्नालॉजी) में स्नाकोत्तर, न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण
5.	इंटरन (आयुर्वेद)	बी.ए.एम.एस. स्नातक न्यूनतम 55% अंको के साथ उत्तीर्ण ।
6.	इंटरन (मार्केटिंग)	बी.ई./बी.टेक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग/ मैकेनिकल/फूड टेक्नालॉजी/कृषि/एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण अथवा /मार्केटिंग मैनेजमेंट (एम.बी.ए.-मार्केटिंग) में स्नाकोत्तर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
7.	इंटरन (आई.टी.)	बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस / आई.टी.) में स्नातक न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।
8.	इंटरन (लैब-एनॉलिस्ट-सामान्य)	बी.एस.सी. बायोटेक/केमेस्ट्री/फूड टेक्नालॉजी/ न्यूट्रीशियन या बी.टेक बायोटेक, न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण ।

3.1. कार्य दायित्व :-

- 3.1.1. **इंटरन संग्रहण** - कार्यक्षेत्र वाले जिला यूनियनों के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं संघ द्वारा निर्धारित दर पर स्व सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपज क्रय करना तथा प्राथमिक प्रसंस्करण करना एवं लघु वनोपज आधारित विकास, उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है । इस कार्य करने से स्वयं लघु वनोपज आधारित उद्यमिता या लघु वनोपज आधारित कार्य करने में दक्षता मिलेगी ।
- 3.1.2. **इंटरन लाख** - शासन द्वारा लाख पालन कार्य को बढ़ावा देने हेतु फसल ऋण एवं बीमा योजना स्वीकृत की गई है । स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन का कार्य किया जाना है, जिसमें किसानों का सर्वे कर ऋण प्रदान करने, किसानों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने, लाख पालन कार्य को बढ़ावा देने एवं ऋण वसूली तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में लाख क्रय एवं प्रसंस्करण कार्य को बढ़ावा दिया जाना है । इसके अतिरिक्त लाख हितग्राहियों को प्रशिक्षण एवं अन्य सहयोग भी प्रदान किया जाना है । आवश्यकतानुसार फसल बीमा संबंधी प्रकरणों के निपटारा का कार्य भी किया जाना होगा।
- 3.1.3. **इंटरन संरक्षण एवं वन संवर्द्धन** - छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ अंतर्गत वन संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु संचालित योजनाओं के अंतर्गत लघु वनोपज प्रजातियों के अंतःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण, संवर्द्धन, प्रबंधन का कार्य संपादित करना तथा लोक संरक्षित क्षेत्र (पी.पी.ए.) एवं कृषि वानिकी क्षेत्रों में लघु वनोपज / औषधि प्रजातियों का संवर्द्धन एवं रोपण का कार्य किया जाना होगा ।

- 3.1.4. **इंटरन प्रसंस्करण** - वनधन विकास केन्द्र योजनांतर्गत हर्बल उत्पाद प्रसंस्करण हेतु स्थापित वनधन विकास केन्द्र के अंतर्गत लक्ष्य अनुरूप उच्च गुणवत्ता, उत्पाद निर्माण स्व सहायता समूहों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाना। साथ ही हर्बल उत्पाद निर्माण हेतु लाईसेंस आदि प्राप्त करना तथा वनधन विकास केन्द्र के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित करने के साथ-साथ वनधन विकास केन्द्र के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण। वनधन विकास केन्द्र के व्यापार वृद्धि हेतु समस्त कार्य किया जाना होगा।
- 3.1.5. **इंटरन आयुर्वेद** - वनधन विकास केन्द्र योजनांतर्गत वनौषधि प्रसंस्करण हेतु स्थापित वनधन विकास केन्द्र के अंतर्गत लक्ष्य अनुरूप उच्च गुणवत्ता, उत्पाद निर्माण स्व सहायता समूहों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाना। साथ ही वनौषधि उत्पाद निर्माण हेतु लाईसेंस, जी.एम.पी. आदि प्राप्त करना तथा वनधन विकास केन्द्र के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित करने के साथ-साथ वनधन विकास केन्द्र के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण। वनधन विकास केन्द्र के व्यापार वृद्धि हेतु समस्त कार्य किया जाना होगा।
- 3.1.6. **इंटरन विपणन** - संघ द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादों के संबंध में बाजार सर्वेक्षण स्व सहायता समूहों के माध्यम से शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद विपणन को बढ़ावा देना, लघु वनोपज एवं उत्पादों के लिए बाजार सर्वेक्षण कर क्रेताओं की जानकारी तैयार करना एवं वनधन विकास केन्द्रों के अंतर्गत निर्मित उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना।
- 3.1.7. **इंटरन आई.टी.** - लघु वनोपज संघ अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर संचालन, डाटा बेस मैनेजमेंट, ऑनलाईन भुगतान, नये सॉफ्टवेयर निर्माण आदि कार्य किया जाना होगा।
- 3.1.8. **इंटरन लैब एनालिस्ट (बायोटेक)** - संघ अंतर्गत वृत्त मुख्यालय में स्थापित (जनरल) लैब अंतर्गत निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कच्चे वनोपज/हर्बल उत्पादों का परीक्षण करना तथा रिपोर्ट तैयार कर संबंधित केन्द्र / संघ को सूचित करना।

4. समय सारणी :-

क्र.	विषय	रिक्तियां	तिथि	समय
1.	विज्ञापन जारी करने का दिनांक	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	23.01.2024	
2.	वॉक-इन-इंटरव्यू (साक्षात्कार) का दिनांक एवं समय	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	12.02.2024 एवं 13.02.2024	प्रातः 10:00 बजे से
3.	साक्षात्कार परिणाम घोषणा	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	21.02.2024	
4.	चयनित इंटरन उपस्थिति अंतिम दिनांक	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	28.02.2024	
5.	चयनित इंटरन के उपस्थिति न देने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में दर्शित अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों के लिए सूचना	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	01.03.2024	
6.	चयनित इंटरन के उपस्थिति न देने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में दर्शित अभ्यर्थियों का उपस्थिति अंतिम दिनांक	समस्त विज्ञापित रिक्तियां हेतु	11.03.2024	

5. आयु सीमा:-

5.1. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकतम 5 वर्ष तक के अभ्यर्थी इंटरन रिक्तियां हेतु आवेदन कर सकते हैं परंतु अभ्यर्थी की अधिकतम आयु **01.01.2024** की स्थिति में 30 वर्ष से ज्यादा न हो ।

6. **निवासी:-** छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी तथा जिले के मूल निवासी आवेदक को प्राथमिकता दिये जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर वरीयता सूची में 5% प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदाय किया जायेगा । अंतिम चयन सूची प्राप्त अधिकतम अंको के आधार पर जारी वरीयता सूची में से किया जावेगा ।

7. चयन प्रक्रिया-

7.1. सामान्य निर्देश-

7.1.1. इच्छुक अभ्यर्थी पूल दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला / जिला यूनियन के वन वृत्त कार्यालय में साक्षात्कार दिनांक को साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे ।

7.1.2. साक्षात्कार दिनांक को प्राप्त आवेदनों के आधार पर वन वृत्त स्तर पर गठित समिति द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी । अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार में आने का यह तात्पर्य नहीं होगा कि उनका चयन हो गया है ।

7.1.3. संघ मुख्यालय हेतु प्रस्तावित पदों पर साक्षात्कार वन वृत्त कार्यालय रायपुर में होगा । वन वृत्त जगदलपुर/कांकेर के पदों के लिए वृत्त कार्यालय के अलावा बस्तर विश्वविद्यालय में भी वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जा सकता है । अतः इस हेतु विस्तृत विवरण पृथक से संघ की वेबसाइट में प्रकाशित की जावेगी ।

7.1.4. एक बार इंटरनशिप हेतु चयनित अभ्यर्थी पुनः इंटरन हेतु पात्र नहीं होंगे ।

7.1.5. शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर प्रावीण्य सूची जारी की जावेगी । यह साक्षात्कार वृत्त स्तर के चयन समिति द्वारा जिला यूनियन / वृत्त कार्यालय में किया जायेगा । संबंधित वृत्त के मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक द्वारा चयन समिति गठित किया जायेगा । चयन आदेश संबंधित प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा जारी किया जायेगा ।

7.1.6. चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक वन वृत्त द्वारा चयन तथा प्रतीक्षा सूची जारी किया जावेगा । किसी जिले में योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर संबंधित वृत्त की चयन समिति अन्य जिले के अभ्यर्थी हेतु आदेश जारी कर सकते हैं । प्रथम चयनित अभ्यर्थी के उपस्थित नहीं होने पर प्रावीण्य सूची से अगले प्रतिक्षारत अभ्यर्थी हेतु आदेश जारी किया जा सकता है ।

7.2. **चयन प्रक्रिया के तहत अंको का विभाजन-** चयन प्रक्रिया हेतु वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी -

विवरण	इंटरनस (संग्रहण), (संरक्षण / वन संवर्द्धन)/(लाख)/(प्रसंस्करण)/(आयुर्वेद)/(मार्केटिंग)/(लेब एनालिस्ट),
शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त कुल अंक का 80%	अधिकतम 80 अंक
जिले के मूल निवासी हेतु अंक	5 अंक
साक्षात्कार	15 अंक
योग:-	100 अंक

शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में सर्वाधिक अंक पाने वाले वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा । चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा निर्देशों के लिये संघ के वेबसाइट **www.cgmpfed.org** का नियमित अवलोकन करते रहे ।

8. मूल दस्तावेज सत्यापन -

साक्षात्कार पूर्व आवेदक को निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिले के वृत्त कार्यालय में समस्त स्व प्रमाणित दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी एवं मूल दस्तावेज में अंकित जानकारी समान होने पर ही आवेदक चयन हेतु पात्र होगा। गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण यदि चयन निरस्त की जाती है तो आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

- 8.1. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति।
- 8.2. हायर सेकेण्ड्री एवं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की अंक सूची की मूल प्रति एवं छाया प्रति।
- 8.3. छत्तीसगढ़/संबंधित जिला का मूल निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति।
- 8.4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई जाति प्रमाण पत्र।
- 8.5. फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, पैन कार्ड या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान कार्ड)।
- 8.6. अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छायाप्रति।

9. सामान्य दिशा निर्देश:-

- 9.1. संभावित रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- 9.2. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- 9.3. इंटरन चयन हेतु अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित जानकारी संघ की वेबसाइट www.cgmpfed.org पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक www.cgmpfed.org का निरंतर अवलोकन करते रहें।
- 9.4. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही साक्षात्कार में उपस्थित हों। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
- 9.5. विज्ञापन में तथ्यात्मक / लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाइट www.cgmpfed.org में प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
- 9.6. चयन के संबंध में नियुक्तकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 9.7. इंटरनशिप की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। इंटरन का चयन पूर्ण रूप से अस्थायी रहेगा।
- 9.8. इंटरनशिप हेतु एक बार चयनित अभ्यर्थी का चयन दोबारा इंटरनशिप हेतु नहीं लिया जावेगा।
- 9.9. जिला के विरुद्ध दर्शित रिक्तियों में चयनित आवेदक को उसी जिला यूनियन के अंतर्गत चयन किया जायेगा परंतु आवश्यकतानुसार पदस्थिति परिवर्तित की जा सकती है। परिवर्तित पदस्थिति पर उपस्थित न होने की दशा में इंटरनशिप समाप्त की जा सकती है।
- 9.10. चयनित आवेदकों को छत्तीसगढ़ के वनवासियों के आजीविका के लिये कार्य करना है। इस हेतु आवेदक को जिला यूनियन व दूरस्थ क्षेत्र तथा सम्पूर्ण राज्य में किसी भी स्थान पर चयनकर्ता अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण किया जाना होगा। क्षेत्र भ्रमण दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में भी किया जाना होगा। आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर भी प्रवास पर जाना होगा। तदनुसार इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन प्रस्तुत करें।
- 9.11. इंटरनशिप के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का मानदेय अथवा एक माह का नोटिस देकर इंटरनशिप समाप्त की जा सकती है।
- 9.12. चयन हेतु आवेदक की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक को होगा।
- 9.13. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर दंडित किया गया हो वह चयन हेतु पात्र नहीं होगा।

- 9.14. किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है, तो चयन प्रक्रिया के समय अथवा चयन के पश्चात किसी भी समय उसकी इंटरनशिप निरस्त की जा सकती है ।
- 9.15. प्रदर्शन के आधार पर देय इंसेंटिव दर, प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अधिकृत अधिकारी का ही होगा । इंटरन इसमें किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते ।
- 9.16. अनुसंधान भत्ता का निर्धारण कार्य की प्रगति के आधार पर प्रति माह भुगतान किया जावेगा । इंटरन इसमें किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकते ।
- 9.17. यह इंटरनशिप छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ में किसी भी प्रकार के नौकरी या नियुक्ति का आश्वासन नहीं करता ।
- 9.18. चयनित इंटरन द्वारा यदि दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास के लिए असहमति दी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उनकी इंटरनशिप समाप्ति की जावेगी ।

४
अपर प्रबंध संचालक (विकास)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर(छ.ग.)

इंटरन साक्षात्कार हेतु वृत्त कार्यालय का नाम एवं पता

- बिलासपुर वृत्त -** कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक,
संत कंवर राम गेट, संजीवनी हास्पिटल के पास, नेहरू चौक बिलासपुर,
जिला बिलासपुर (छ.ग.)
Mobile No.- 7000103869
- सरगुजा वृत्त -** कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, पंचानंद होटल
के पास, साल परिसर अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)
Mobile No.- 8770409419
- जगदलपुर वृत्त -** कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, संजय मार्केट
के पास, वृत्त कार्यालय जगदलपुर, जिला जगदलपुर (छ.ग.)
Mobile No.- 99939 45301, 81035 76771 अथवा बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर
- कांकेर वृत्त -** कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, उदय कॉलोनी
के पास, रायपुर रोड, कांकेर, जिला कांकेर (छ.ग.)
Mobile No.- 98066 83412
- रायपुर वृत्त एवं -** कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक,
एस.एफ.आर.टी.आई. बरोंडा, जीरो पाईट, विधानसभा रोड, रायपुर,
जिला रायपुर (छ.ग.), Mobile No.- 82260 03331
- दुर्ग वृत्त -** कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महा प्रबंधक, जेल रोड पांच
बिल्डिंग के पास, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)
Mobile No.- 94241 21413

वन वृत्त से संबंधित जिला यूनियन का नाम		
क्र.	वन वृत्त का नाम	संबंधित वृत्त/ जिला यूनियन का नाम
1.	जगदलपुर	जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, दत्तेवाड़ा
2.	कांकेर	कांकेर वृत्त, कांकेर, नागयणपुर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, कोण्डागांव, केशकाल
3.	रायपुर	रायपुर मार्ट, धमतरी, गरियाबंद, संघ मुख्यालय
4.	दुर्ग	दुर्ग वृत्त, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़
5.	बिलासपुर	बिलासपुर, कटघोरा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़
6.	सरगुजा	सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर

//इंटरनशीप हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप//

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन मुख्य महाप्रबंधक
वन वृत्त,.....(छ.ग.)

स्व-प्रमाणित
फोटो ग्राफ

आवेदित इंटरन पद का प्रकार :-

1. नाम -----
2. पिता का नाम -----
3. जन्मतिथि (अंको में) -----
जन्मतिथि (शब्दों में) -----
4. दिनांक 01.01.2024 की -----
स्थिति में आयु -----
5. जाति वर्ग -----
(SC/ST/PVT/OBC/GEN)
6. लिंग (महिला/पुरुष) -----
7. जिला -----
8. स्थायी पता -----

9. वर्तमान पता -----

10. ई-मेल -----
11. मोबाईल नंबर -----
12. आधार नंबर -----

13. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड का नाम	वर्ष	विषय	प्रतिशत

14. कम्प्यूटर दक्षता (हॉ/नहीं) -----
15. इंटरनशीप / कार्य अनुभव -----
अगर हो तो वर्ष/महीना में
अंकित करें ।

16. स्व-प्रमाणित दस्तावेजों की -----
सूची।

स्थान :

दिनांक : (अभ्यर्थी का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर)

::घोषणा::

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि जिस पद हेतु मैं आवेदन प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ। उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता / रखती हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी यदि त्रुटिपूर्ण पाई जाता/जाती है, मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। साथ ही मेरा जिला /जिला यूनियन/वनधन केन्द्र में चयन होगा/ होगी, मैं वहां निवास करूंगा/करूंगी/राज्य में / राज्य से बाहर प्रवास हेतु मैं तैयार हूँ तथा मेरा इंटरनशिप पूर्णकालिक होगा।

स्थान :

दिनांक : (अभ्यर्थी का पूर्ण नाम एवं हस्ताक्षर)